न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. प्रभू पुत्र नानगा
2. रमेश पुत्र प्रभू

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा ढाणी मीणा की तहसील राहूवास पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति मन्ना देवी पत्नि रामावतार जाति मीना निवासी पालून्दा तहसील राहूवास जिला दौसा।
2. रामजीलाल पुत्र शंकरलाल
3. गोपाल पुत्र शंकरलाल
4. मोती पुत्र प्रभातीलाल
5. राजू पुत्र प्रभातीलाल
6. रामखिलाडी पुत्र बद्री
7. बाबूलाल पुत्र बद्री
8. श्रीराम पुत्र नन्दाराम
9. दुलाराम पुत्र घासीराम

समस्त जाति मीना निवासी रामपुरा ढाणी मीणा की तहसील राहूवास जिला दौसा।

10. श्री मोहरसिंह मीना पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा जिला दौसा। ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभू इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. मुकदमा नम्बर 1/23 व 2/23 जिसमे आगामी तारीख पेशी 13.2.2023 नियत है जो उप जिला कलक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा में लम्बित है

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस के दौरान अनुपस्थित।
: श्री विवेक बटवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः—10.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रामपुरा कलां स्थित आराजी खसरा संख्या 8 मिन 2 बीघा 14 बिस्वा व 70 मिन 9 बीघा 6 बिस्वा कुल भूमि 12 बीघा हाल खसरा संख्या 106/70 व 96/8 के सम्बन्ध में उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा के न्यायालय में एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रभू बनाम जगदीश आदि विचाराधीन है। वाद व प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति मन्ना देवी पत्नि रामवतार द्वारा एक परिवाद उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा के न्यायालय में दिनांक 22.12.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा एस.एच.ओ. रामगढ पचवारा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। एस.एच.ओ. रामगढ पचवारा ने श्रीमति मन्ना देवी से साज कर तथ्यों को छिपाते हुये एक परिवाद धारा 145 जा. फौ. का उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवाद धारा 145 उनवानी सरकार बनाम प्रभू दर्ज कर तलबी के आदेश पारित कर दिये जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसी न्यायालय में विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद पूर्व से ही विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी ने उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा के आवास व चैम्बर पर कई बार मिलते जुलते देखा है एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरेआम कहती है कि मेरी उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा से बातचीत हो गई है वे अब भूमि को कुर्क करने का आदेश दे देंगे तथा भूमि पर रिसीवर कायम कर देंगे तथा प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में होगा। इसलिये प्रार्थी को उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभू आदि परिवाद अन्तर्गत धारा 145 जा.फौ. मुकदमा नम्बर 1/23 व 2/23 को अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने के लिये यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण प्रभू बनाम जगदीश वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद उद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में जेरकार है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 मन्ना देवी पत्नि रामवतार द्वारा एक परिवाद दिनांक 22.12.2022 को अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. का पेश किया जिस पर थानाधिकारी रामगढ पचवारा से जांच रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा बाद जांच इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभू दिनांक 20.1.2023 को पेश किया गया जो वर्तमान में जवाब व साक्ष्य में विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिलने के आरोप मनगढन्त एवं कपोल कल्पित है। पीठासीन अधिकारी का प्रार्थी से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध सरोकार व वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा